प्रेसनोट –

दिनांक- 15.09.2026

थाना मधुबन जनपद मऊ।

गैंगेस्टर एक्ट में 15000/- रूपये का इनामिया वांछित अभियुक्त की गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन, मऊ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.09.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कटघराशंकर मोड़ के पास से मु०अ०सं० 300/26 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वाछिंत इनामिया (15000/- रुपये) अभियुक्त अहमद उर्फ पिन्टू पुत्र अब्बास निवासी लखनी मुबारकपुर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1.अहमद उर्फ पिन्टू पुत्र अब्बास निवासी लखनी मुबारकपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 300/2026 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ।

2.मु0अ0सं0 0484/2024 धारा 115(2), 117(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना घोसी मऊ।

3. मु०अ०सं० 124/2025 धारा 303 (2) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ।

4.मु0अ0सं0 233/2026 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मधुबन जनपद मऊ।

5.मु0अ0सं0 87/2026 धारा 331 (4) बीएनएस थाना रामपुर जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक- 15.09.2026

स्थान - कटघराशंकर मोड़ के पा

प्रेसनोट –

दिनांक- 15.09.2026

जनपद मऊ।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 15.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्यामदेव पुत्र हरहंगी निवासी ग्राम लारपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

2.थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त भूपेन्द्र राम पुत्र रामबचन राम निवासी ग्राम परसपुरा सेमरियांव थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।
अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

प्रेसनोट –

दिनांक- 15.09.2026

जनपद मऊ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 15.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 30 टीम गठित कर जनपद के 30 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1420 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 500 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान व 04 वाहनो को सीज किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

प्रेसनोट

दिनांक- 15.09.2026

थाना सरायलखंसी जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 14,000/- (चौदह हजार रूपया) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 15.09.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़ित/आवेदक विवेक कुमार पुत्र विजेन्द्र कुमार भारती निवासी ग्राम खरगेजपुर, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ के खाते से फोन करके फ्राड की गयी कुल धनराशि- 14,000/- (चौदह हजार रूपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना सरायलखंसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें । साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।